अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

गृह मामले

गृह मंत्रालय की प्राथमिक जिम्मेदारियां आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, केंद्रीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों का प्रशासन, सीमा प्रबंधन, केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन, आपदा प्रबंधन और राज्यों के साथ समन्वय करना है।[1] संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए बाध्य करता है।[2] मंत्रालय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने में सहायता के लिए राज्य सरकारों को श्रमशक्ति, वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है।[1]

मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि हस्तांतरित भी करता है (क्योंकि उन्हें केंद्रीय करों में हिस्सा नहीं मिलता है) और उन केंद्र शासित प्रदेशों का सीधे प्रशासन करता है जिनकी अपनी विधानसभा नहीं है।

इस नोट में 2025-26 के लिए गृह मंत्रालय के व्यय की प्रवृत्तियों और बजट प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया है, तथा मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में गृह मंत्रालय (एमएचए) को 2,33,211 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं (रेखाचित्र 1)। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों (2,20,371 करोड़ रुपए) से 6% अधिक है। मंत्रालय का बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के कुल व्यय बजट का 5% है, और यह मंत्रालयों में चौथा सबसे बड़ा आवंटन है। 2019 से मंत्रालय के व्यय में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान भी शामिल है।

रेखाचित्र 1: गृह मंत्रालय के लिए आवंटन समय के साथ बढ़ा है, लेकिन धीमी दर से

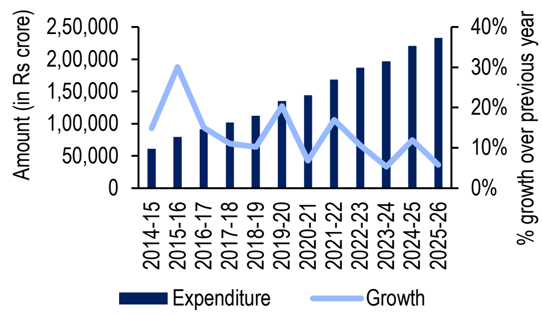

नोट: संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए और बजट अनुमान 2025-26 के लिए लिया गया है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट; पीआरएस।

2015-16 से लेकर अब तक मंत्रालय का व्यय बजटीय व्यय से अधिक रहा है (रेखाचित्र 2)। अपवाद 2020-21 था, जब वास्तविक व्यय आवंटन से 14% कम था। ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण हुआ, जिसके बाद व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव आया।[3] 2023-24 में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से 0.4% अधिक था।

रेखाचित्र 2: लगभग सभी वर्षों में धनराशि उपयोग बजट आवंटन से अधिक रहा है

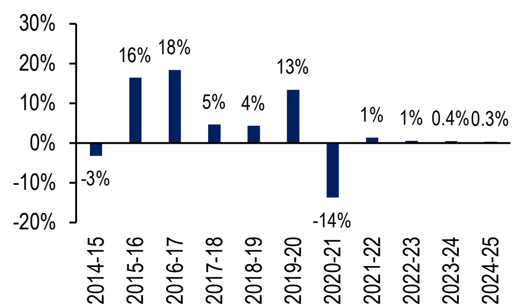

नोट: संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए वास्तविक माना गया है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट; पीआरएस।

2025-26 में मंत्रालय का 69% व्यय पुलिस पर, 29% केंद्र शासित प्रदेशों के अनुदान पर और 2% अन्य मदों जैसे आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों और प्रवासियों के पुनर्वास और जनगणना आयोजित करने पर होने का अनुमान है (तालिका 1)।

निरंजना एस. मेनोन
niranjana@prsindia.org

4 मार्च, 2025

तालिका 1: 2025-26 में मंत्रालय का 69% व्यय पुलिस पर होगा (करोड़ रुपए में)

प्रमुख मद	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	2024-25 संअ से 2025-26 बअ में परिवर्तन का %
पुलिस	1,24,715	1,46,833	1,60,391	9%
यूटी	66,044	66,580	67,238	1%
अन्य	6,113	6,959	5,581	-20%
कुल	**1,96,871**	**2,20,371**	**2,33,211**	**6%**

नोट: बअ- बजट अनुमान, संअ- संशोधित अनुमान। 'अन्य' के अंतर्गत व्यय में आपदा प्रबंधन, कैबिनेट और प्रशासनिक मामले शामिल हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान और ऋण: 2025-26 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए अनुदान और ऋण के रूप में 67,238 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान (66,580 करोड़ रुपए) से 1% अधिक है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (दोनों का गठन 2019 में पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ) के लिए आवंटन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित कुल राशि का 68% है। इन अनुदानों में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए व्यय शामिल नहीं है।

अन्य मद: मंत्रालय की अन्य व्यय मदों में आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों और प्रवासियों का पुनर्वास और प्रशासनिक मामले शामिल हैं। 2025-26 में इन मदों के लिए 5,581 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान (6,959 करोड़ रुपए) से 20% कम है। 2025-26 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (जनगणना के लिए जिम्मेदार) को 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जनगणना पर व्यय 2023-24 और 2024-25 में बजट अनुमान से कम रहा है। होमगार्ड्स के लिए हस्तांतरण भी 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 566 करोड़ रुपए से घटकर 2025-26 में 30 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

व्यय के मुख्य क्षेत्रों का विश्लेषण

पुलिस

2025-26 में पुलिस व्यय के लिए 1,60,391 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस व्यय का अधिकांश हिस्सा (कुल आवंटन का 85%) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। 2024-25 की तुलना में 2025-26 में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय दोगुना से अधिक होने का अनुमान है। 2025-26 में दिल्ली पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिलाकर 21,258 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पुलिस के लिए कुल आवंटन का 13% है।

तालिका 2: पुलिस के अंतर्गत प्रमुख व्यय मदें (करोड़ रु. में)

विभाग	2023-24 वास्तविक	2024-25 संशोधित	2025-26 बजट	% परिवर्तन
सीएपीएफ	95,073	1,05,647	1,09,037	3%
दिल्ली पुलिस	12,115	11,468	11,932	4%
जम्मू-कश्मीर पुलिस	0	8,666	9,326	8%
सीमा अवसंरचना	3,336	3,070	5,597	82%
पुलिस अवसंरचना	2,448	1,986	4,379	120%
पुलिस का आधुनिकीकरण	2,659	2,624	4,069	55%
खुफिया ब्यूरो	3,148	3,966	3,893	-2%
अन्य	5,937	9,406	12,158	29%
कुल	**1,24,715**	**1,46,833**	**1,60,391**	**9%**

नोट: % परिवर्तन 2024-25 के संशोधित अनुमान से 2025-26 के बजट अनुमान में परिवर्तन को दर्शाता है। अन्य में महिलाओं की सुरक्षा और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण जैसी योजनाएं शामिल हैं। बअ- बजट अनुमान, संअ - संशोधित अनुमान। स्रोत: गृह मंत्रालय की अनुदान मांग 2025-26; पीआरएस।

2022-23 में पुलिस को आवंटित धनराशि का उपयोग 2015-16 के बाद पहली बार बजट अनुमान से कम रहा (2020-21 को छोड़कर, जो कोविड-19 महामारी का वर्ष था; रेखाचित्र 3 देखें)। 2022-23 और 2023-24 में व्यय का बजट अनुमान 98% था जिसके 2024-25 में 102% होने की उम्मीद है।

रेखाचित्र 3: 2015-16 से 2022-23 तक पुलिस पर व्यय बजट अनुमान से अधिक रहा है

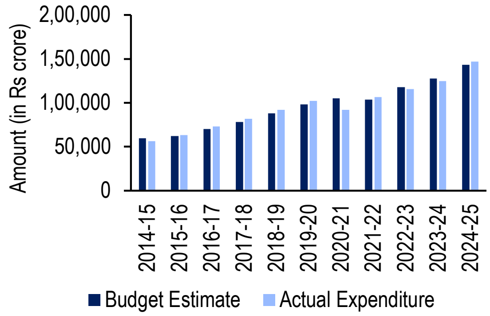

नोट: 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान और 2025-26 के लिए बजट अनुमान। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट; पीआरएस।

जनवरी 2023 तक भारत में हर एक लाख लोगों पर 155 पुलिसकर्मी हैं।[4] हालांकि राज्यों में इस अनुपात में काफी अंतर है। छोटे राज्यों और कम आबादी वाले राज्यों में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या कहीं ज़्यादा है।[4]

रेखाचित्र 4: बिहार में हर एक लाख की आबादी पर 81 पुलिसकर्मी हैं (1 जनवरी 2023 तक)

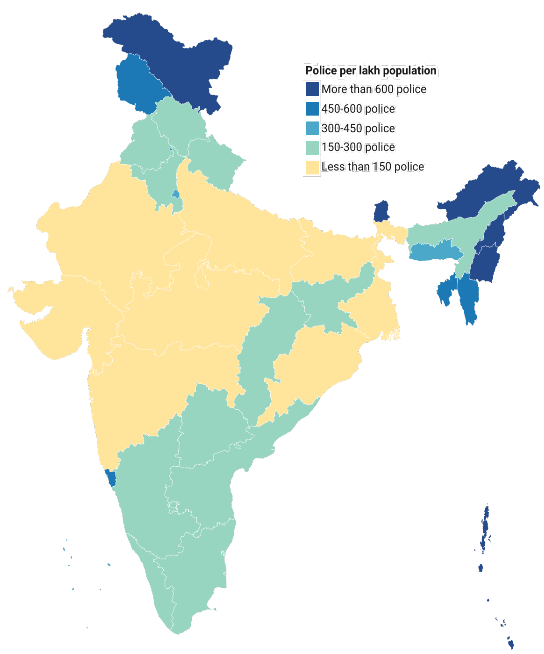

स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो; पीआरएस।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सात बलों से मिलकर बने हैं (तालिका 3 देखें)। इन बलों को 2025-26 में 1,09,037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो पुलिस पर होने वाले खर्च का 68% है। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च सीआरपीएफ़ पर होगा, जिसे सीएपीएफ के लिए कुल आवंटन का 32% (35,147 करोड़ रुपए) मिलेगा, उसके बाद बीएसएफ को आवंटन का 26% (28,231 करोड़ रुपए) मिलेगा।

सीएपीएफ गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं।[5] असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जबकि इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल हैं।[5] सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आरक्षित बल है जिसे राज्यों के अनुरोध पर तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ हवाई अड्डों और औद्योगिक इकाइयों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा करता है।[5] भारत-पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा और भारत-चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा भी भारतीय सेना द्वारा की जाती है।[6]

तालिका 3: कुल आवंटन का लगभग 75% सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए

सीएपीएफ	2025-26 के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)	% हिस्सा
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	35,147	32%
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)	28,231	26%
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	15,310	14%
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)	10,370	10%
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)	10,237	9%
असम राइफल्स (एआर)	8,274	8%
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)	1,275	1%

स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

2025-26 में सीएपीएफ पर कुल आवंटन का 98% राजस्व व्यय के लिए है और बाकी पूंजीगत व्यय के लिए है। यह प्रवृत्ति एक दशक से जारी है जिसमें पूंजीगत व्यय हर वर्ष कुल व्यय का 1%-2% बना

हुआ है। पूंजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण और वाहन खरीदने पर होने वाला खर्च शामिल है। राजस्व व्यय में वेतन, कपड़े और हथियार पर होने वाला खर्च शामिल है।

रिक्तियां

1 जुलाई, 2024 तक सभी सीएपीएफ में 9% पद रिक्त हैं।[7] सीआईएसएफ में वास्तविक क्षमता के मुकाबले सबसे अधिक 19% पद रिक्त हैं (तालिका 4 देखें)।[7]

तालिका 4: सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में रिक्तियों की दर सबसे अधिक (1 जुलाई, 2024 तक)

सीएपीएफ	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	% रिक्तियां
सीआईएसएफ	1,86,924	1,51,925	19%
सीआरपीएफ	3,30,851	2,98,033	10%
आईटीबीपी	98,858	90,000	9%
एसएसबी	97,774	91,922	6%
एआर	65,536	62,575	5%
बीएसएफ	2,65,808	2,55,663	4%
कुल	**10,45,751**	**9,50,118**	**9%**

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 2426, लोकसभा, 6 अगस्त, 2024; पीआरएस।

रिक्तियों को पूरा करने के लिए सीएपीएफ और एआर में कांस्टेबल/राइफलमैन के 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं।[7] पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट भी मिलती है।[7]

काम करने की स्थितियां

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने पाया कि सीआरपीएफ के जवान सप्ताह में सातों दिन औसतन 12-14 घंटे काम करते हैं।[8] कमिटी ने कहा कि इतने लंबे समय तक काम करना न तो स्वास्थ्य के लिहाज से उचित हैं, और न ही वे ऐसा बहुत दिनों तक कर सकते हैं। गृह मामलों से संबंधित एक अन्य स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने पाया कि पिछले वर्षों की तुलना में 2021 और 2022 में सभी सेवाओं में सीएपीएफ कर्मियों की एट्रिशन दर (एट्रिशन वह दर होती है जिस पर कर्मचारी एक निश्चित समयावधि में श्रमबल छोड़ते हैं) में वृद्धि हुई है।[9]

स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने सुझाव दिया था कि एक निश्चित समय पर बटालियन के कम से कम छठे हिस्से को आराम करना चाहिए या पीस स्टेशन पर होना चाहिए।[8] उच्च स्तर का एट्रिशन भी काम करने की स्थितियों को प्रभावित कर सकता है।[9] उसने सुझाव दिया था कि सीएपीएफ एट्रिशन की समस्या को दूर करने के लिए रोटेशनल डेपुटेशन नीति का पालन करें।[9] इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक अमानवीय परिस्थितियों में तैनात होने से रोका जा सकेगा। इससे उनके स्थानांतरण की मांग करने की प्रवृत्ति कम हो सकती है और एट्रिशन भी कम हो सकता है।[9] कमिटी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफा चाहने वालों के साथ एक्जिट इंटरव्यू आयोजित करने का भी सुझाव दिया था।[9]

आत्महत्या और भाई-भतीजावाद: 2022 में सीएपीएफ में वास्तविक संख्या और आत्महत्याओं की संख्या के आधार पर सीएपीएफ के लिए आत्महत्या दर 14 प्रति लाख जनसंख्या है, जो भारत में सामान्य आत्महत्या दर (12.4 प्रति लाख जनसंख्या) से अधिक है।[10] 2017 से 2022 के बीच सहकर्मियों द्वारा की गई गोलीबारी के कारण 57 सीएपीएफ कर्मियों की मृत्यु हो गई।[11] ऐसे अधिकांश मामलों के विभिन्न कारण पाए गए जैसे वैवाहिक समस्या, व्यक्तिगत दुश्मनी, मानसिक बीमारी, अवसाद और आर्थिक तंगी।[11] 2021 में गृह मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसका उद्देश्य जोखिम के कारणों की पहचान करना और सीएपीएफ कर्मियों की आत्महत्या और भाई-भतीजावाद को रोकने के उपाय सुझाना था।[12] दिसंबर 2024 में मंत्रालय ने बताया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट सभी सीएपीएफ को भेज दी गई है।[13]

तालिका 5: 2024 में 130 से अधिक सीएपीएफ कर्मियों ने आत्महत्या की (12 दिसंबर, 2024 तक)

वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024	कुल
आत्महत्या	144	157	138	157	134	**730**

नोट: आत्महत्याओं में सेवारत लापता लोग भी शामिल हैं।
स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1036, राज्यसभा, 4 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

सीएपीएफ की आधुनिकीकरण योजना

सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना IV को जनवरी 2022 से मार्च 2026 तक लागू करने के लिए मंजूरी दी गई थी जिसका कुल परिव्यय 1,523 करोड़ रुपए है।[14] आधुनिक हथियार, निगरानी उपकरण, विशेष वाहन, सुरक्षात्मक गियर आदि खरीदने के लिए धनराशि का उपयोग किया जाता है।[14] 2022-23 से इस योजना के तहत धनराशि उपयोग कम रहा है (तालिका 6 देखें)।

तालिका 6: सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना IV के अंतर्गत धनराशि उपयोग कम रहा है

वर्ष	बजटीय अनुमान	वास्तविक	उपयोग
2022-23	248	78	31%
2023-24	202	98	48%
2024-25	181	111	61%
2025-26	353	-	

नोट: संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए वास्तविक माना गया है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट; पीआरएस।

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि 2022-23 में आधुनिकीकरण पर व्यय का बड़ा हिस्सा फरवरी और मार्च 2023 (56 करोड़) के बीच हुआ।[9] मंत्रालय ने इस योजना पर कम व्यय के कारण बताए। इनमें वस्तुओं की तकनीकी प्रकृति के कारण खरीद में देरी, शर्त पूरी न करने के कारण टेंडर रद्द होना और निर्माताओं द्वारा समय पर ऑर्डर पूरा न कर पाना शामिल है।[15]

सीएपीएफएस पर राज्य की निर्भरता और लंबित भुगतान

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2018) ने कहा कि राज्यों में सीआरपीएफ की तैनाती की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।[8] इससे सीएपीएफ की लगातार तैनाती होती रहती है और उनकी परिचालन क्षमता प्रभावित होती है। कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सीएपीएफ पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करें।[8]

स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने यह भी पाया कि कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सीएपीएफ की सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया है।[9] केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था बरकरार रखने में सहायता के लिए सीएपीएफ को तैनात करती है। राज्यों को सीएपीएफ की सेवाओं के लिए भुगतान करना आवश्यक है। अक्टूबर 2022 तक राज्यों को सीएपीएफ की सेवाओं के लिए कुल 49,912 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। कुल राशि का 88% (44,084 करोड़ रुपए) सीआरपीएफ की तैनाती के लिए बकाया है।[15] कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय राज्यों/यूटी से बकाया राशि का भुगतान करवाए।[9]

आवास

राज्य सरकारें राज्य पुलिस के लिए आवास उपलब्ध कराती हैं जबकि सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों को गृह मंत्रालय आवास उपलब्ध कराता है। गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए भी धनराशि जारी करता है।

सीएपीएफ: गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की संख्या के आधार पर 2,68,370 आवासीय इकाइयों को अधिकृत किया है।[9] हालांकि दिसंबर 2022 तक उपलब्ध आवासीय इकाइयां स्वीकृत संख्या का 48% हैं (तालिका 7 देखें)।[9] यह अनुपात संतुष्टि दर है। सीएपीएफ में एसएसबी की आवास संतुष्टि दर सबसे कम 29% है और एनएसजी की सबसे अधिक (82%) है।[9]

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने सुझाव दिया था कि गृह मंत्रालय आवास संतुष्टि दर को 70-80% तक बढ़ाने के लिए अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण करे।[9] जब निर्माणाधीन इकाइयां चालू हो जाएंगी तो संतुष्टि दर 54% हो जाएगी।[9] 70% आवास संतुष्टि दर तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 43,230 आवासीय इकाइयों (निर्माणाधीन को छोड़कर) की आवश्यकता होगी।

2025-26 में सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों की निर्माण परियोजनाओं के लिए 4,039 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें इन एजेंसियों के लिए आवासीय और कार्यालय भवन शामिल हैं। 2019-20 से हर साल निर्माण परियोजनाओं के लिए धन का कम उपयोग किया गया है (रेखाचित्र 5)। 2023-24 में निर्माण परियोजनाओं पर वास्तविक व्यय (2,337

करोड़ रुपए) बजट अनुमान (3,367 करोड़ रुपए) से 31% कम था।

तालिका 7: स्वीकृत आवासीय इकाइयों की लगभग आधी संख्या उपलब्ध है (दिसंबर 2022 तक)

सीएपीएफ	स्वीकृत इकाइयां	संतुष्टि दर	निर्माणाधीन इकाइयां
सीआरपीएफ	88,523	56%	4,483
बीएसएफ	78,164	45%	3,208
एसएसबी	29,331	29%	2,220
आईटीबीपी	28,568	41%	3,959
एआर	25,480	54%	304
सीआईएसएफ	14,690	47%	1,737
एनएसजी	3,614	82%	40
कुल	**2,68,370**	**48%**	**15,951**

स्रोत: रिपोर्ट संख्या 242, गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, 17 मार्च, 2023; पीआरएस।

रेखाचित्र 5: सीएपीएफ और केंद्रीय पुलिस संगठनों की निर्माण परियोजनाओं के लिए 2019-20 में धनराशि का अल्प उपयोग किया गया

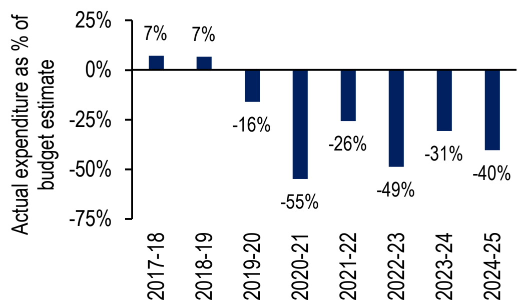

नोट: संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए वास्तविक माना गया है।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट; पीआरएस।

दिल्ली पुलिस: स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए आवास संतुष्टि दर 20% थी।[9] मंत्रालय ने बताया कि भूमि की कमी के कारण पुलिसकर्मियों को उनकी पोस्टिंग के पास आधिकारिक आवास नहीं दिया जा सकता है।[9] इसके परिणामस्वरूप उन्हें काम पर आने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है।[9] कमिटी ने सुझाव दिया कि आधिकारिक आवास के बजाय किराया भत्ता लेने के इच्छुक कर्मियों की संख्या का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।[9] आवास की आवश्यकता को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है। 2025-26 में दिल्ली पुलिस की कार्यालयी और आवासीय भवन परियोजनाओं के लिए 328 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि गृह मंत्रालय दिल्ली में पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं के पुनर्विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करे।[16]

पुलिस में महिलाएं

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस में महिलाओं का अनुपात बढ़ाकर 33% करने की सलाह दी है।[17] ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हर पुलिस स्टेशन में हर समय एक सक्रिय महिला हेल्प डेस्क हो।[17] इसके लिए हर पुलिस स्टेशन में कम से कम तीन महिला सब-इंस्पेक्टर और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल उपलब्ध होनी चाहिए।[17] जनवरी 2016 में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल स्तर पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे।[18] इसके अलावा सीमा सुरक्षा बलों में कांस्टेबल के लगभग 14-15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे।[18]

जनवरी 2023 तक सीएपीएफ में महिला कर्मियों की कुल संख्या वास्तविक संख्या के मुकाबले 4% थी (तालिका 8)।[4] राज्य पुलिस बलों की वास्तविक संख्या का 12% महिलाएं थीं।[4] दिल्ली पुलिस बल में महिलाएं 15% और जम्मू-कश्मीर पुलिस में 5% हैं।[4]

महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति (2014) ने पुलिस बलों में महिलाओं के सामने आने वाले कई चुनौतियों की पहचान की थी।[19] इनमें बुनियादी सुविधाओं और आवासीय सुविधा की कमी, अपर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शामिल हैं।[19] पदोन्नति, स्थानांतरण और पोस्टिंग की नीतियों में भी जुड़ी समस्याओं की पहचान की गई थी।[19]

तालिका 8: 1 जनवरी, 2023 तक सीएपीएफ और कुछ राज्य बलों में महिलाएं

बल	वास्तविक संख्या	महिला कर्मी	कुल संख्या का %
सीआरपीएफ	2,95,371	9,425	3.9%
बीएसएफ	2,45,290	8,442	3.4%
सीआईएसएफ	1,42,136	10,001	7.0%
एसएसबी	88,363	3,667	4.1%
आईटीबीपी	86,586	2,713	3.1%
एआर	62,634	2,424	3.9%
एनएसजी	10,079	73	0.7%
कुल सीएपीएफ	*9,30,459*	*36,745*	*3.9%*
कुल राज्य पुलिस	*21,41,305*	*2,63,762*	*12.3%*
दिल्ली	80,583	11,930	14.8%
जम्मू एवं कश्मीर	81,171	4,370	5.4%
कुल	**30,71,764**	**3,00,507**	**9.8%**

स्रोत: 1 जनवरी, 2023 तक पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो; पीआरएस।

पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर

पुलिस राज्य का विषय है। हालांकि गृह मंत्रालय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना लागू करता है।[20] इसमें राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक उप-योजना शामिल है।[20] 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना के लिए कुल परिव्यय 26,275 करोड़ रुपए है।[20] 2025-26 में लिए इस योजना के लिए 4,069 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

पुलिस स्टेशनों को अपने काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इनमें वाहन, लैंडलाइन टेलीफोन और मोबाइल फोन शामिल हैं। 1 जनवरी, 2023 तक भारत में 17,849 पुलिस स्टेशन थे।[4] इनमें से (i) 58 के पास वाहन नहीं थे, (ii) 680 के पास लैंडलाइन टेलीफोन नहीं थे, और (iii) 282 के पास मोबाइल फोन नहीं थे (तालिका 9; राज्यवार आंकड़ों के लिए अनुलग्नक में तालिका 17 देखें)।[4] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित कुछ पुलिस स्टेशन सीमावर्ती राज्यों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं।[21] इसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं।[4] उसने गृह मंत्रालय से राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस स्टेशनों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।[21]

तालिका 9: कुछ राज्यों के पुलिस स्टेशनों में बुनियादी ढांचा (1 जनवरी, 2023 तक)

राज्य/यूटी	पुलिस स्टेशनों की संख्या	जिन स्टेशनों में निम्नलिखित नहीं		
		वाहन	टेलीफोन	वायरलेस मोबाइल
असम	333	-	127	-
झारखंड	564	47	211	31
मणिपुर	90	4	70	-
मेघालय	81	3	76	-
मिजोरम	45	-	27	-
नागालैंड	87	-	30	7
ओड़िशा	679	-	-	17
पंजाब	432	-	54	10
उत्तर प्रदेश	1,851	-	-	208
अन्य	13,687	4	85	9
कुल	**17,849**	**58**	**680**	**282**

स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, 1 जनवरी, 2023; पीआरएस।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस), वामपंथी अतिवादी (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (एसआईएस), मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और फोरेंसिक क्षमताओं के अपग्रेडेशन की योजनाएं शामिल हैं।[20]

2020-21 से आधुनिकीकरण के लिए आवंटित और जारी धनराशि में गिरावट आई है। गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि राज्यों द्वारा यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करने में देरी के कारण कम धनराशि जारी की गई।[22] कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय प्रभावी उपयोग के लिए वर्ष की पहली या दूसरी तिमाही में धनराशि जारी करे।[22] उसने यह भी सुझाव दिया कि यूटिलिटी से संबंधित समस्याओं को योजना के अंतर्गत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।[22]

रेखाचित्र 6: 2020-21 से आधुनिकीकरण धनराशि का उपयोग 30% से कम रहा है

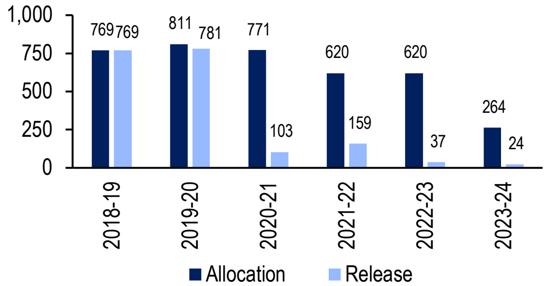

नोट: 2023-24 के आंकड़े 31 जनवरी 2024 तक के हैं। स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 494, 6 फरवरी 2024; पीआरएस।

उपकरणों की उपलब्धता

कमिटी ने यह पाया कि सीएपीएफ कर्मियों के लिए गैर-घातक हथियारों की मैन्यूफैक्चरिंग और उपलब्धता सीमित है।[22] उसने सुझाव दिया कि मंत्रालय को इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करनी चाहिए।[22] उसने यह भी कहा कि सीएपीएफ कर्मियों के पास अक्सर नए दंगा-रोधी उपकरणों और हल्के, पहनने में आसान शारीरिक सुरक्षा उपकरणों का अभाव होता है।[22] ये उपकरण काम के दौरान लगने वाली चोटों को कम करने के लिए जरूरी हैं।

फॉरेंसिक क्षमताओं का अपग्रेडेशन

फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्रीज़ (एफएसएल) आपराधिक मामलों के लिए जांच एजेंसियों और न्यायपालिका को फोरेंसिक विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करती हैं।[23] एफएसएल हत्या, यौन उत्पीड़न और डकैती जैसे अपराधों पर डीएनए-आधारित फोरेंसिक जांच करती हैं।[24] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत, सात वर्ष से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य है।[25] इसके कारण फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्रीज़ के लिए केस लोड में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।[26] अक्टूबर 2024 तक सात मौजूदा केंद्रीय एफएसएल में 3,953 मामले लंबित थे।[26] शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने कहा था कि बेहतर फोरेंसिक क्षमताएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महिलाओं के साथ हिंसा के अपराधियों के खिलाफ मजबूत मामले बनाने में मदद कर सकती हैं।[27]

जुलाई 2024 में कैबिनेट ने 2024-25 से 2028-29 तक 2,254 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी।[28] इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के नौ ऑफ-कैंपस और सात केंद्रीय एफएसएल स्थापित करना है।[28] इस योजना को 2025-26 में 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

अंतरराज्यीय भिन्नताएं: फोरेंसिक लेबोरेट्रीज़ की संख्या सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान नहीं हैं।[4] उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में दो-दो चालू क्षेत्रीय एफएसएल हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में पांच और तमिलनाडु में 10 हैं। (राज्यवार आंकड़ों के लिए तालिका 16 देखें।) गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को 2024 तक हर राज्य की राजधानी में एक एफएसएल स्थापित करनी चाहिए, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में भी।[29]

धनराशि का कम उपयोग: 2022-23 में फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण पर 188 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बजट में 300 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया।[9] इसमें से अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच सिर्फ पांच करोड़ रुपए खर्च किए गए।[9] इसका मतलब है कि ज्यादातर खर्च जनवरी 2023 के बाद हुआ।[9] 2024-25 में खर्च (संशोधित अनुमान के अनुसार) 150 करोड़ रुपए है, जबकि बजट में 700 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था।

2025-26 में फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय एफएसएल के अपग्रेडेशन और राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

महिला सुरक्षा योजनाएं

गृह मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ महिलाओं सुरक्षा के लिए एक व्यापक योजना लागू की है।[30] इस राशि में से 885 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय अपने बजट से उपलब्ध कराएगा और बाकी निर्भया फंड से आएगा।[30] यह फंड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और इसका उपयोग महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।[31]

2025-26 में गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए 975 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए, सुरक्षित शहरों की परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ रुपए और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) के लिए 180 करोड़ रुपए शामिल हैं। संशोधित अनुमानों के अनुसार, इन योजनाओं पर व्यय 409 करोड़ रुपए था। मुख्य रूप से फोरेंसिक क्षमताओं और ईआरएसएस के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण 2025-26 में यह बढ़ोतरी हुई है।

साइबर अपराधों में बढ़ोतरी

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने देश में साइबर अपराधों की बढ़ती दर पर गौर किया।[29] 2022 में 65,893 साइबर अपराध दर्ज किए गए जो 2021 की तुलना में 24% अधिक है।[32] 2025-26 में महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 44 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

साइबर अपराध राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जनवरी 2023 तक देश में 715 साइबर अपराध सेल और 323 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन थे।[4] हालांकि चंडीगढ़, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में कोई साइबर सेल नहीं है।[4] असम और बिहार जैसे राज्यों के साथ-साथ लद्दाख सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों में कोई साइबर अपराध पुलिस स्टेशन नहीं है।[4] देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र के तहत एक कार्यक्षेत्र के रूप में दिल्ली में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) की स्थापना की गई थी।[33] जुलाई 2024 तक इस प्रयोगशाला ने लगभग 10,200 मामलों में सेवाएं प्रदान की हैं।[34]

स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि साइबर सेल की मौजूदा संख्या साइबर अपराधों की बढ़ती दर के अनुपात में नहीं थी।[22] उसने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में एक साइबर सेल स्थापित किया जाए, और डार्क वेब और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किए जाएं।[22] उसने साइबर अपराध हॉटस्पॉट की मैपिंग का भी सुझाव दिया।[22]

नशीले पदार्थ और ड्रग्स

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है जिसे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत बनाया गया है।[6] यह नशीली ड्रग्स के सेवन और अवैध नारकोटिक्स की तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।[6] वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत 21 लाख किलोग्राम 46 लाख लीटर ड्रग्स जब्त की गईं।[35] 21 लाख किलोग्राम ड्रग्स में से 83% भांग आधारित थी, और 16% अफीम आधारित थी (रेखाचित्र 7 देखें)।[35] सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स खरीदने के लिए डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग और डिलीवरी के लिए पार्सल/कूरियर सेवाएं कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिन्हें एजेंसियों ने चिन्हित किया है।[36,37] जनवरी 2023 और मार्च 2024 के बीच एसएसबी ने 29,001 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किए।[6]

रेखाचित्र 7: 2022 में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की गई दवाओं में 99% ओपियेट्स और कैनबिस-आधारित ड्रग्स

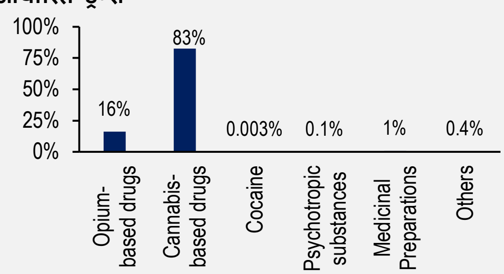

स्रोत: अतारांकित प्रश्न 1167, राज्यसभा, गृह मंत्रालय, 13 दिसंबर, 2023; पीआरएस।

वर्ष 2004 से गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने की योजना लागू की है। इसे 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है जिसका कुल परिव्यय 50 करोड़ रुपए है। इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

रेखाचित्र 8: मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता हेतु व्यय 2025-26 में लगभग तीन गुना होने का अनुमान (करोड़ रु में)

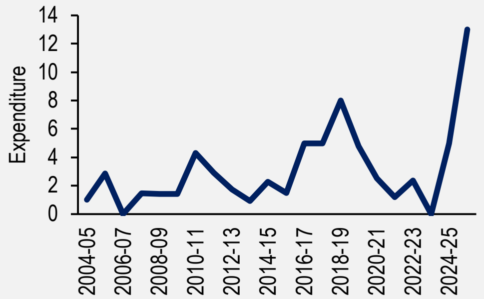

नोट: 2006-07 के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक माना गया है। 2025-26 के लिए बजट अनुमान लिया गया है। स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, गृह मंत्रालय; पीआरएस।

आंतरिक सुरक्षा

गृह मंत्रालय भारत में आंतरिक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है।[1] इसमें वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई), पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद तथा सीमापार आतंकवाद को निष्प्रभावी करना शामिल है।[6]

मणिपुर में स्थिति

2023 में मणिपुर में कुकी और मेतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा देखी गई।[6] 2023 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की 243 घटनाएं दर्ज की गईं।[6] ऐसी सभी घटनाओं में से 77% मणिपुर में हुईं (187)।[6]

सितंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने मणिपुर के पूरे राज्य (19 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) एक्ट (आफ्स्पा) के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया।[38] आफ्स्पा सेना को अशांत क्षेत्रों में बिना वारंट के तलाशी लेने या गिरफ़्तार करने, गोली मारकर हत्या करने और संपत्ति नष्ट करने का अधिकार देता है।[39] नवंबर 2024 में आफ्स्पा को छह और पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया।[38] यह कदम गृह मंत्रालय के इस आकलन के कारण उठाया गया कि मणिपुर में स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है।[38] 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई।[40] यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की सभी शक्तियां और राज्य सरकार के कार्य राष्ट्रपति को सौंपता है।[40]

वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई)

गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़िशा जैसे वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास योजनाओं को लागू करने के लिए "वामपंथी अतिवाद प्रभाग" बनाया।[41] प्रभाग की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करना, (ii) वामपंथी अतिवाद से निपटने के लिए राज्य की क्षमता में सुधार करना, और (iii) वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों में सीएपीएफ की तैनाती करना।[41]

पिछले 15 वर्षों में वामपंथी अतिवाद की घटनाओं और वामपंथी अतिवाद के कारण नागरिकों की मृत्यु की संख्या में कमी आई है (रेखाचित्र 9 देखें)।[42] 2023 में 42 जिलों के 171 पुलिस स्टेशनों से वामपंथी अतिवाद हिंसा दर्ज की गई।[6] हालांकि 25 जिलों में 91% घटनाएं हुईं।[6]

रेखाचित्र 9: वामपंथी अतिवाद की घटनाओं और उससे संबंधित नागरिक मौतों में 2010 से कमी आई है

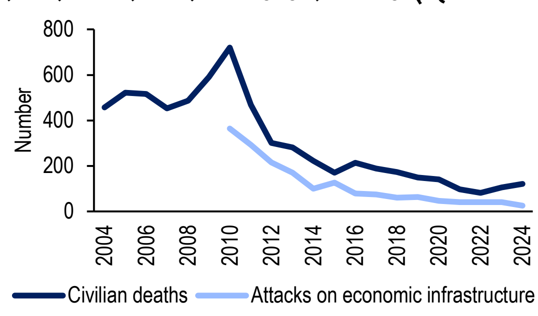

नोट: 2024 का डेटा 15 दिसंबर, 2024 तका का है। स्रोत: एफएक्यू, वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट।

सीमा प्रबंधन

सीमा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शत्रुतापूर्ण हितों के विरुद्ध भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है, साथ ही वैध व्यापार और वाणिज्य को भी सुविधाजनक बनाना है।[43] इसमें सीमा पुलिस और गार्ड को सशक्त करना और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण शामिल है। सीमा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर में बाड़, फ्लडलाइटिंग, सड़कें, सीमा चौकियां और कंपनी ऑपरेटिंग बेस शामिल हैं।[43]

2025-26 में सीमा अवसंरचना और प्रबंधन के लिए 5,597 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान (3,070 करोड़ रुपए) से 82% अधिक है। इसमें सीमा कार्यों के रखरखाव, चेक पोस्ट और आउट पोस्ट, मदों के लिए पूंजीगत परिव्यय, जिसमें भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना, सड़क निर्माण और हाई-टेक निगरानी आदि शामिल हैं। 2015-16 और 2023-24 के बीच सीमा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन पर व्यय 11% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि 2020-21 में इसमें कमी आई है (रेखाचित्र 10)।

रेखाचित्र 10: 2015 और 2025 के बीच सीमा अवसंरचना और प्रबंधन पर व्यय में सालाना 11% की वृद्धि हुई (करोड़ रुपए में)

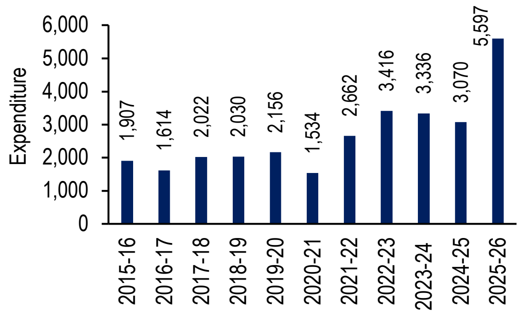

नोट: *2024-25 के लिए संशोधित अनुमान का उपयोग किया गया है। अन्य सभी वर्षों के आंकड़े वास्तविक हैं। स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज; पीआरएस।

भारत-बांग्लादेश की 4,097 किलोमीटर सीमा, भारत की सबसे लंबी सीमा है।[6] मार्च 2024 तक 3,197 किलोमीटर (78% लंबाई) पर बाड़ लगा दी गई थी।[6] मंत्रालय के अनुसार, सीमा पर बाड़ लगाने का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा।[6] जहां भौतिक अवरोध नहीं बनाए जा सकते, वहां तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाएगा।[6] मंत्रालय ने देरी के कारणों के रूप में कठिन भूभाग, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, छोटे कामकाजी मौसम और सीमा पर रहने वाली आबादी और बांग्लादेश के सीमा गार्ड्स की आपत्तियों का हवाला दिया है।[6] मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने सीमा पार से घुसपैठ और तस्करी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।[44]

3,323 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर 2,098 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है।[6] इसमें से 2,068 किलोमीटर (99%) पर बाड़ लगाई जा चुकी है।[6]

सीमा क्षेत्रों का विकास

1986-87 से गृह मंत्रालय ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को लागू किया है।[45] इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय और कौशल विकास जैसे आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराना है।[45] बीएडीपी के अंतर्गत 117 जिले आते हैं।[45] इस योजना के लिए 2025-26 में 98 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

रेखाचित्र 11: 2020 के बाद बीएडीपी पर व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई (करोड़ रुपए में)

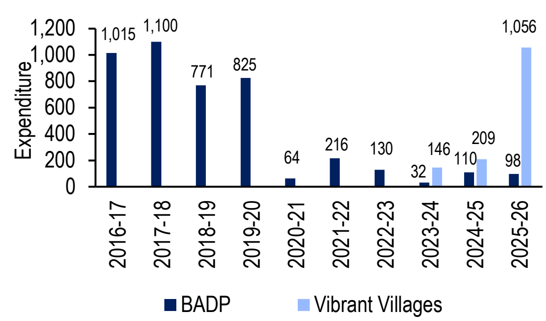

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज; पीआरएस।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया था।[46] इसे 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 4,800 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।[46] आजीविका सृजन, सड़क

संपर्क में सुधार, वित्तीय समावेशन और आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ाना कुछ मुख्य क्षेत्र हैं।[46] जुलाई 2024 तक इस योजना के तहत 6,045 गतिविधियां शुरू की गई हैं।[47] इनमें जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल हैं।[47]

2024-25 में इस योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि केवल 209 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं (संशोधित अनुमान के अनुसार)। 2025-26 का बजट आवंटन 1,056 करोड़ रुपए है।

जेल

जेल राज्य का विषय है।[48] गृह मंत्रालय जेल प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिसमें जेलों का अपग्रेडेशन भी शामिल है, के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करता है।[48] दिसंबर 2022 में देश भर की जेलों में कैदियों की संख्या 131% थी, जो कि अत्यधिक भीड़भाड़ को दर्शाती है (तालिका 10)।[49] 2020-22 से, जबकि जेलों की संख्या और जेल की क्षमता में वृद्धि हुई, जेलों में कैदियों की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई।[49] दिल्ली, मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कैदियों की संख्या 150% से अधिक थी।[49]

रेखाचित्र 12: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जेलों पर व्यय (करोड़ रुपए में)

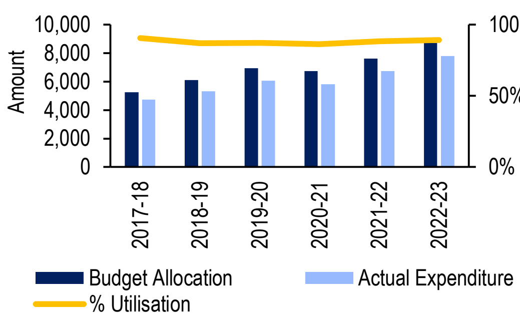

स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2022; पीआरएस।

2021-22 में मंत्रालय ने 2025-26 तक जेलों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को मंजूरी दी जिसके लिए 950 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया।[50] इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और सुधारात्मक प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करना है।[50] मंत्रालय ने 2025-26 में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2023-24 में इस योजना पर 87 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

रेखाचित्र 13: अधिकांश राज्यों की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी

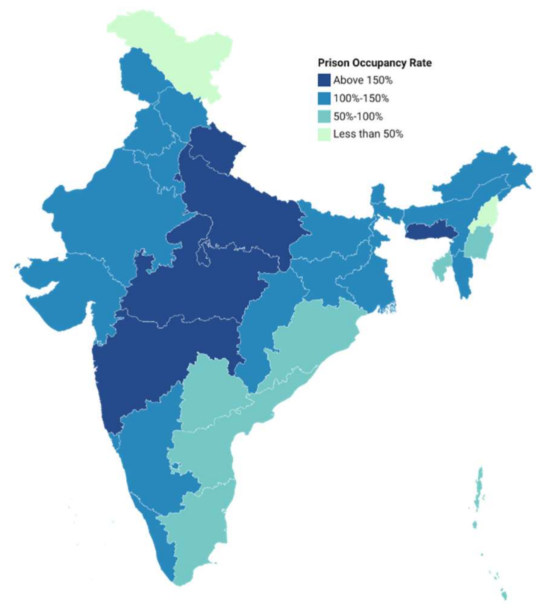

नोट: जेल में ऑक्यूपेंसी दर की गणना कैदी जनसंख्या/कुल क्षमता के रूप में की गई है और प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है।
स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2022, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो; पीआरएस।

तालिका 10: जेल क्षमता की तुलना में ऑक्यूपेंसी में तेज़ी से वृद्धि हुई है (2020-2022)

वर्ष	जेलों की संख्या	जेलों की क्षमता	ऑक्यूपेंसी	ऑक्यूपेंसी की दर
2020	1,306	4,14,033	4,88,511	118%
2021	1,319	4,25,609	5,54,034	130%
2022	1,330	4,36,266	5,73,220	131%

स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत, 2022, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दिसंबर 2023; पीआरएस।

विचाराधीन कैदी

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने पाया कि विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है।[55] 2022 में जेलों में बंद कुल कैदियों में से 76% विचाराधीन कैदी थे।[49] जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ के कारणों के रूप में मुकदमे से पहले हिरासत का बहुत अधिक इस्तेमाल, धीमी सुनवाई, पैरोल और समय से

पहले रिहाई जैसे उपायों का अपर्याप्त उपयोग और सख्त सजा के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।[51,52,53] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार, अगर विचाराधीन कैदियों पर एक से अधिक अपराधों का आरोप है तो उन्हें अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद अनिवार्य जमानत नहीं मिलेगी।[25] इस प्रावधान से देश भर में कैदियों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है।

स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने यह भी कहा कि विचाराधीन कैदियों को जेलों में रखने का खर्च जमानत राशि से अधिक है।[55] 2023 में मंत्रालय ने गरीब कैदियों को जमानत दिलाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू की।[54] इस योजना के तहत, हर राज्य में एक कोष स्थापित किया गया है जिसका आंशिक वित्त पोषण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है।[54] गरीब व्यक्तियों को जमानत दिलाने में मदद करने के उद्देश्य से एक एम्पावर्ड कमिटी को विवेकाधीन धनराशि आवंटित की गई।[54] 2025-26 में इस योजना पर परिव्यय पांच करोड़ रुपए है। 2024-25 में इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जबकि व्यय (संशोधित अनुमानों के अनुसार) केवल एक करोड़ रुपए था।

कैदियों की शिक्षा और कल्याण पर व्यय

2023-24 में देश भर की जेलों के बजट का 1.2% कैदियों के कल्याणकारी कार्यों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा पर खर्च किया गया।[49] गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने 2021-22 में भी यही रवैया देखा।[55] उसने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें जेल विकास कोष बनाएं।[55] कैदियों द्वारा की जाने वाली औद्योगिक गतिविधियों से प्राप्त मुनाफे को कोष में जमा किया जा सकता है।[55] इस राशि का उपयोग कल्याण और शिक्षा के लिए किया जा सकता है जिससे राज्य के बजट आवंटन पर निर्भरता कम होगी। कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार पुनर्वास और सुधार के लिए प्रति कैदी व्यय को समझने के लिए एक अध्ययन करे।[55]

केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता

जिन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में विधानसभा नहीं होती, वे केंद्र सरकार के सीधे प्रशासन के अधीन आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239ए और 239एए के तहत विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त है।[56] 2025-26 में जम्मू एवं कश्मीर यूटी को सबसे ज़्यादा अनुदान (41,000 करोड़ रुपए) मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 6,212 करोड़ रुपए मिलेंगे जो केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों का 9% है (तालिका 11)। लद्दाख और लक्षद्वीप को 2025-26 में 2024-25 (संशोधित अनुमानों के अनुसार) की तुलना में कम अनुदान मिलने का अनुमान है।

तालिका 11: 2025-26 में केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटन (करोड़ रुपए में)

केंद्र शासित प्रदेश	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	% परिवर्तन
जम्मू एवं कश्मीर	41,604	41,000	41,000	0%
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5,871	5,986	6,212	4%
चंडीगढ़	5,872	5,839	6,187	6%
लद्दाख	4,300	4,920	4,692	-5%
पुद्दूचेरी	3,389	3,330	3,432	3%
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	2,500	2,649	2,780	5%
लक्षद्वीप	1,556	1,608	1,586	-1%
दिल्ली	951	1,248	1,348	8%
कुल	**66,044**	**66,580**	**67,238**	**1%**

नोट: % परिवर्तन 2024-25 संशोधित अनुमान से 2025-26 बजट अनुमान में हुआ परिवर्तन है। स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

जम्मू एवं कश्मीर

2025-26 में जम्मू-कश्मीर को सबसे अधिक हस्तांतरण (41,000 करोड़ रुपए) का अनुमान है। इसमें पूंजीगत व्यय के लिए 102 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए 9,326 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। इस प्रकार 2025-26 में जम्मू-कश्मीर के लिए कुल सहायता

50,326 करोड़ रुपए है। 2024-25 में संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल सहायता 49,666 करोड़ रुपए थी जो बजटीय आंकड़े (52,067 करोड़ रुपए) से 5% कम है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में महिलाएं: गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2022) ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में सभी पुलिस बलों में संयुक्त महिला शक्ति का प्रतिशत सबसे कम था।[21s] 1 जनवरी, 2023 तक जम्मू और कश्मीर में 4,370 महिला पुलिसकर्मी (कुल कर्मचारियों का 5.4%) थीं।[4]

आतंकवाद: 2023 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद संबंधी घटनाओं और आतंकवाद विरोधी मुठभेड़ों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई (तालिका 12 देखें)।

तालिका 12: 2018 और 2023 के बीच आतंकवाद और उससे संबंधित घटनाओं में उल्लेखनीय कमी

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
आतंकवादी घटनाएं	228	153	126	129	125	46
मुठभेड़/आतंकवाद विरोधी अभियान	189	102	118	100	117	48
मारे गए सुरक्षा बल	91	80	63	42	32	30
मारे गए नागरिक*	55	44	38	41	31	14
मारे गए आतंकी	257	157	221	180	187	73

नोट: *मारे गए नागरिकों में आतंकी घटनाओं और मुठभेड़ों/आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए नागरिक शामिल हैं। स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, गृह मंत्रालय।

लद्दाख

कारगिल और लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के पास लद्दाख के दो जिलों में विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने से संबंधित कार्यकारी शक्तियां हैं।[57] ये निकाय भूमि उपयोग, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों को भी नियंत्रित करते हैं।[57] स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा कि 2023-24 में इन परिषदों के लिए धनराशि में कटौती की गई है।[9] यह इस तथ्य के बावजूद था कि पिछले वर्ष के लिए 31 जनवरी, 2023 तक लेह में 66% और कारगिल में 75% धनराशि का उपयोग किया जा चुका था।[9] कमिटी ने यह भी कहा कि इन परिषदों को वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण उन्हें विकास परियोजनाओं को लागू करने में मदद करेगा।[9]

दिल्ली

दिल्ली को 2025-26 में गृह मंत्रालय से कुल 13,607 करोड़ रुपए की सहायता मिलने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 5% अधिक है। इसमें राज्य को हस्तांतरण (1,348 करोड़ रुपए) और दिल्ली पुलिस (11,932 करोड़ रुपए) और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर (328 करोड़ रुपए) के लिए आवंटन शामिल हैं। चंद्रावल जल उपचार संयंत्र के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 380 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस: नवंबर 2024 तक दिल्ली पुलिस में स्वीकृत कर्मियों के मुकाबले 9% रिक्तियों की दर्ज किया गया (रेखाचित्र 14)।[58] 2018 से 2023 तक रिक्तियों की दर 10% से अधिक थी और 2024 में घटकर 9% हो गई। कैग (2020) ने कहा था कि धीमी भर्तियों और अपर्याप्त तैनातियों ने मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ बढ़ाया है।[59]

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2021) ने पाया कि दिल्ली पुलिस में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।[60] 2015 में केंद्र सरकार ने कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के गैर-राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी थी।[61] जनवरी 2023 तक, पुलिस बल में महिलाओं की वास्तविक संख्या 15% (11,930 कर्मी) थी।[4] पब्लिक एकाउंट्स कमिटी (2024) ने सुझाव दिया था कि अधिक महिलाओं को पुलिस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष भर्ती अभियान और टारगेटेड आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।[62]

रेखाचित्र 14: 2024 में दिल्ली पुलिस में रिक्तियां 9%

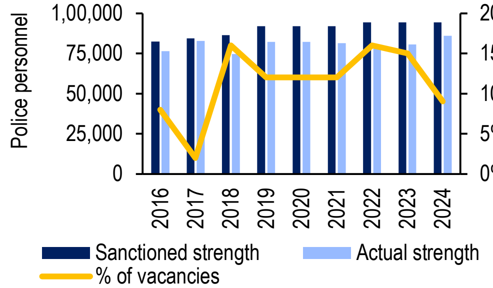

स्रोत: विभिन्न वर्षों के पुलिस संगठनों पर डेटा; अतारांकित प्रश्न संख्या 2398, लोकसभा, गृह मंत्रालय, 10 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की खराब स्थिति: कैग (2020) के अनुसार, संभावित स्तर से कम कर्मचारियों की तैनाती और अपर्याप्त भौतिक संसाधन दिल्ली पुलिस के प्रभावी कामकाज में बड़ी बाधा थे।[59] पुलिस कर्मियों के काम में सहायता हेतु आधुनिक तकनीक वाली एक प्रभावी संचार प्रणाली अनिवार्य है। कैग सर्वेक्षण (2020) के अनुसार, अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच सीसीटीवी कैमरों में से 55%-68% काम कर रहे थे।[59] इसी अवधि के दौरान एकीकृत कमान, नियंत्रण, समन्वय और संचार केंद्र में 22%-48% सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा सकी।[59] नेटवर्क संबंधी समस्याओं या खराब कैमरों के कारण अन्य कैमरों से फुटेज उपलब्ध नहीं थी। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दिल्ली पुलिस 20 साल पुरानी ट्रंकिंग प्रणाली (वायरलेस संचार के लिए) का उपयोग कर रही थी, जबकि इसका सामान्य जीवनकाल 10 वर्ष था।[59] वायरलेस सेटों की संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि वे पुराने हो गए हैं और उन्हें बदला नहीं जा रहा है।[59]

15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि गृह मंत्रालय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण कोष से पुलिस कर्मियों की बेहतर संचार प्रणाली और प्रौद्योगिकी सुधार के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित करे।[16] 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली पुलिस को 328 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान (236 करोड़ रुपए) से 39% अधिक है।

आपदा प्रबंधन

गृह मंत्रालय सूखे और महामारी के अलावा अन्य आपदाओं से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय है।[63] आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित उपाय करना शामिल है: (i) आपदा के खतरे की रोकथाम, (ii) आपदा के जोखिम और गंभीरता को कम करना, (iii) आपदाओं के प्रबंधन के लिए क्षमता विकास, (iv) त्वरित प्रतिक्रिया, निकासी, बचाव और राहत के लिए तैयारी करना, और (v) पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास सुनिश्चित करना।[64]

तालिका 13: 2025-26 में आपदा राहत के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

विभाग	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	% परिवर्तन
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	1,665	1,838	1,923	5%
आपदा प्रबंधन अवसंरचना	84	82	100	22%
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	-	4	-	-
अन्य योजनाएं	1	16	-	-
कुल	**1,750**	**1,940**	**2,023**	**4%**

नोट: % परिवर्तन 2024-25 संशोधित अनुमान से 2025-26 बजट अनुमान में हुआ परिवर्तन है। स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

जोखिम प्रबंधन कोष

राज्य आपदाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया, बचाव और पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं।[65] इसलिए वे आपदा प्रबंधन पर सबसे अधिक व्यय करते हैं।[65] राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है।[66] केंद्र और राज्य सरकारें इस कोष में निम्नलिखित अनुपात में योगदान करती हैं: (i) पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और (ii) अन्य सभी राज्यों के लिए 75:25।[66] केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और सशस्त्र बलों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।[65] इसका पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।[66] राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।[66]

जनवरी 2025 तक एसडीआरएफ से 18,323 करोड़ रुपए और 2024-25 में एनडीआरएफ से 4,808 करोड़

रुपए जारी किए गए हैं।[67] एनडीआरएफ से छह राज्यों- हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा को प्राकृतिक आपदाओं के लिए 4,051 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।[67] बाकी धनराशि अग्निशमन सेवाओं के लिए जारी की गई।

भारत में आपदा वित्तपोषण तंत्र वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर विकसित हुआ है।[65] 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा शमन कोष स्थापित करने का सुझाव दिया है।[66] इन कोषों में भी आपदा प्रतिक्रिया कोषों के समान ही लागत-साझाकरण पैटर्न होगा। तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य आपदा शमन कोष स्थापित किए हैं।[66]

रेखाचित्र 15: 2021-26 की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन हेतु आवंटित धनराशि

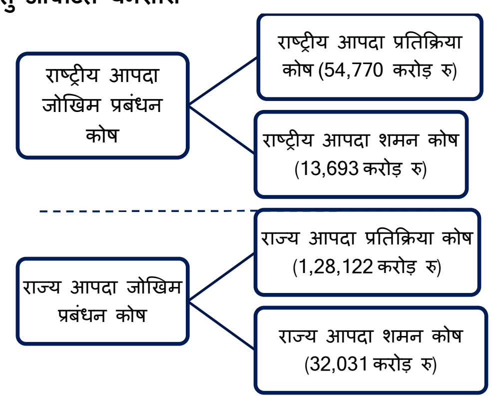

स्रोत: आपदा प्रबंधन प्रभाग, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट; पीआरएस।

राज्यों द्वारा एनडीआरएफ से मांगी गई राशि, स्वीकृत राशि तथा जारी की गई राशि के बीच काफी असमानता रही है।

तालिका 14: एनडीआरएफ से स्वीकृत राशि राज्यों द्वारा मांगी गई राशि से काफी कम है

वर्ष	मांगी गई राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि
2019-20	47,733	14,775	12,793
2020-21	66,502	10,022	7,891
2021-22	25,386	6,598	4,114
2022-23	10,313	2,551	1,362
2023-24	8,674	2,341	1,093

नोट: 2018 से 2024 के बीच एनडीआरएफ से राज्यवार जारी धनराशि के लिए अनुलग्नक में तालिका 19 देखें। स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1825, राज्यसभा, गृह मंत्रालय, 7 अगस्त, 2024; पीआरएस।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) आपदा प्रबंधन और राहत से निपटने के लिए एक विशेष बल है।[68] जनवरी 2023 तक एनडीआरएफ के पास 18,557 स्वीकृत पद हैं।[4] हालांकि इसकी वास्तविक संख्या 14,197 है, जो 23% रिक्तियों की दर है।[4]

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, परिमाण और आवृत्ति समय के साथ बढ़ी है।[9] उसने यह भी कहा था कि सामुदायिक स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता है।[9] कमिटी ने सुझाव दिया कि आपदा के दौरान बचाव और पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने हेतु एनडीआरएफ द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।[9]

आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने हेतु 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा मित्र योजना शुरू की गई थी।[6] इस योजना में बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप की आशंका वाले 350 जिले शामिल हैं। मार्च 2024 तक 96,600 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।[6] इस योजना की कुल लागत 369 करोड़ रुपए आंकी गई थी।[6] इसमें से 353 करोड़ रुपए या तो राज्यों को जारी किए गए हैं या कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा खर्च किए गए हैं।[6]

आपदा प्रबंधन बिल, 2005 में संशोधन

अगस्त 2024 में आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में संशोधन करने वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया।[69] यह राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कार्यों में वृद्धि करता है, जैसे कि राहत के न्यूनतम मानकों का सुझाव देना, आपदा डेटाबेस तैयार करना और आपदा जोखिमों का समय-समय पर जायजा लेना।[69] यह राज्य सरकार को बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन करने का अधिकार भी देता है।[69]

वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत

15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संसाधन पर्याप्त न हों तो केंद्र और राज्य सरकारों को वित्त पोषण के लिए

वैकल्पिक साधनों पर विचार करना चाहिए।[65] वित्त पोषण के इन वैकल्पिक स्रोतों में रिकंस्ट्रक्शन बॉन्ड, क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, उधार आसान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में निजी योगदान को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।[65] अगस्त 2019 से केरल सरकार ने दो साल के लिए फ्लड सेस लगाया। इसका उद्देश्य राज्य में 2018 की बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए संसाधन जुटाना था।[70]

आयोग ने चार बीमा योजनाओं की भी पहचान की है जो लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।[65] ये इस प्रकार हैं- आपदा से संबंधित मौतों के लिए एक राष्ट्रीय बीमा योजना, राहत सहायता को फसल बीमा के साथ समन्वित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय जोखिम पूल बनाना, और दुर्लभ आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजारों तक पहुंच बनाना।[65] इन व्यवस्थाओं को उनकी व्यवहार्यता का विश्लेषण करने के बाद बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में शुरू करना होगा।

जनगणना

2025-26 में भारत की जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/रजिस्ट्रार जनरल को 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 0.5% अधिक है। फरवरी 2025 तक भारत की 16वीं जनगणना नहीं हुई है। 2010-11 और 2011-12 के दौरान, जब भारत की 15वीं जनगणना हुई थी, दो वर्षों में कुल 5,365 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।[71]

फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई है।[72] जनगणना में और देरी करने से कई सर्वेक्षणों और योजनाओं पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के तहत सबसिडी वाले खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में 2011 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित है।[73] हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ को पार कर जाएगी।[74] जनगणना में देरी करने से लाभार्थियों को बाहर रखा जा सकता है।

अन्य सर्वेक्षण, जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भी नमूनाकरण के लिए गणना ब्लॉकों तक पहुंचने के लिए जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करते हैं।[75,76] पुलिस संगठनों पर डेटा जैसी रिपोर्टें 2011 के आंकड़ों पर आधारित जनसंख्या अनुमानों का उपयोग करती हैं।[4] हालांकि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का एक अनुमान बताता है कि 1 जुलाई 2023 तक भारत की जनसंख्या 139 करोड़ थी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 142 करोड़ के आंकड़े से कम है।[77,74]

परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 1971 और 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है।[78] इन संख्याओं में संशोधन 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा।[78] 78 संविधान (106वां संशोधन) एक्ट, 2023 के अनुसार, यह विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को प्रभावित कर सकता है।[79] यह लोकसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को भी प्रभावित कर सकता है।

अनुलग्नक

तालिका 15: राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस (1 जनवरी, 2023 तक)

राज्य/यूटी	प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस	राज्य/यूटी	प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,050	लक्षद्वीप	365
आंध्र प्रदेश	166	मध्य प्रदेश	121
अरुणाचल प्रदेश	767	महाराष्ट्र	137
असम	206	मणिपुर	942
बिहार	81	मेघालय	423
चंडीगढ़	482	मिजोरम	595
छत्तीसगढ़	215	नागालैंड	1,136
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	94	ओड़िशा	121
दिल्ली	380	पुद्दूचेरी	199
गोवा	498	पंजाब	241
गुजरात	124	राजस्थान	118
हरियाणा	199	सिक्किम	834
हिमाचल प्रदेश	240	तमिलनाडु	160
जम्मू एवं कश्मीर	599	तेलंगाना	163
झारखंड	158	त्रिपुरा	556
कर्नाटक	151	उत्तर प्रदेश	135
केरल	151	उत्तराखंड	184
लद्दाख	874	पश्चिम बंगाल	101
भारत	**155**		

स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, मार्च 2024; पीआरएस।

तालिका 16: राज्यों और यूटी में फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की संख्या

राज्य/यूटी	राज्य एफएसएल की संख्या	क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या	राज्य/यूटी	राज्य एफएसएल की संख्या	क्षेत्रीय एफएसएल की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0	महाराष्ट्र	1	12
आंध्र प्रदेश	1	5	मणिपुर	1	0
अरुणाचल प्रदेश	1	0	मेघालय	1	0
असम	1	5	मिजोरम	1	0
बिहार	1	2	नागालैंड	1	0
छत्तीसगढ़	1	3	ओड़िशा	1	3
दिल्ली	1	1	पुद्दूचेरी	1	0
गुजरात	1	7	पंजाब	1	3
गोवा	1	0	राजस्थान	1	6
हरियाणा	1	4	सिक्किम	1	0
हिमाचल प्रदेश	1	2	तमिलनाडु	1	10
झारखंड	1	0	तेलंगाना	1	4
जम्मू एवं कश्मीर	1	1	त्रिपुरा	1	0

केरल	1	3	उत्तर प्रदेश	1	12
कर्नाटक	1	7	उत्तराखंड	1	1
मध्य प्रदेश	1	4	पश्चिम बंगाल	1	2

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 3452, लोकसभा, गृह मंत्रालय, 17 दिसंबर, 2024।

तालिका 17: पुलिस स्टेशनों में बुनियादी ढांचा (1 जनवरी, 2023 तक)

राज्य	पुलिस स्टेशन	जिन स्टेशनों में निम्नलिखित नहीं हैं:		
		वाहन	टेलीफोन	वायरलेस/मोबाइल
आंध्र प्रदेश	1,028	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	110	-	20	-
असम	333	-	127	-
बिहार	1,021	-	-	-
छत्तीसगढ़	474	-	24	-
गोवा	45	-	1	-
गुजरात	768	-	-	-
हरियाणा	417	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	152	3	-	-
झारखंड	564	47	211	31
कर्नाटक	1,060	-	-	-
केरल	565	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,159	-	-	-
महाराष्ट्र	1,191	-	-	2
मणिपुर	90	4	70	-
मेघालय	81	3	76	-
मिजोरम	45	-	27	-
नागालैंड	87	-	30	7
ओड़िशा	679	-	-	17
पंजाब	432	-	54	10
राजस्थान	982	-	21	-
सिक्किम	30	-	-	-
तमिलनाडु	2,334	-	-	-
तेलंगाना	844	-	-	-
त्रिपुरा	83	-	11	-
उत्तर प्रदेश	1,851	-	-	208
उत्तराखंड	162	-	-	-
पश्चिम बंगाल	655	-	-	-
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24	1	3	-
चंडीगढ़	19	-	-	NP
दादरा नगर हवेली/दमन दीव	8	-	-	-
दिल्ली	225	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	250	-	-	-
लद्दाख	10	-	-	-
लक्षद्वीप	16	-	5	7
पुद्दूचेरी	55	-	-	-
कुल	**17,849**	**58**	**680**	**282**

नोट: NP- डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत: पुलिस संगठनों पर डेटा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, मार्च 2024; पीआरएस।

तालिका 18: भारतीय राज्यों की जेलों में ऑक्यूपेंसी दर (% में)

राज्य/यूटी	जेलों में ऑक्यूपेंसी दर	राज्य/यूटी	जेलों में ऑक्यूपेंसी दर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	81%	लक्षद्वीप	9%
आंध्र प्रदेश	84%	मध्य प्रदेश	164%
अरुणाचल प्रदेश	101%	महाराष्ट्र	161%
असम	121%	मणिपुर	67%
बिहार	136%	मेघालय	167%
चंडीगढ़	107%	मिजोरम	116%
छत्तीसगढ़	145%	नगालैंड	32%
दादरा नगर हवेली/दमन दीव	104%	ओड़िशा	83%
दिल्ली	185%	पुद्दूचेरी	78%
गोवा	109%	पंजाब	116%
गुजरात	118%	राजस्थान	107%
हरियाणा	122%	सिक्किम	149%
हिमाचल प्रदेश	114%	तमिलनाडु	77%
जम्मू एवं कश्मीर	146%	तेलंगाना	81%
झारखंड	111%	त्रिपुरा	51%
कर्नाटक	104%	उत्तर प्रदेश	180%
केरल	106%	उत्तराखंड	183%
लद्दाख	19%	पश्चिम बंगाल	134%
कुल	**130%**		

नोट: जेल की ऑक्यूपेंसी दर की गणना कैदी जनसंख्या/कुल क्षमता के रूप में की गई है और प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। स्रोत: जेल सांख्यिकी भारत 2022, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दिसंबर 2023; पीआरएस।

तालिका 19: 2019 और 2024 के बीच राज्यों को एनडीआरएफ द्वारा जारी धनराशि (करोड़ रुपए में)

राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	कुल
आंध्र प्रदेश	-	657	351	-	-	1,009
अरुणाचल प्रदेश	-	59	-	-	-	59
असम	-	44	-	161	-	205
बिहार	953	1,255	1,039	-	-	3,247
गोवा	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	284	-	-	214	598	1,096
कर्नाटक	1,870	1,318	996	940	-	5,124
केरल	-	-	-	-	-	-
मेघालय	17	-	-	-	-	17
महाराष्ट्र	2,715	1,121	355	-	-	4,192
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	1,712	612	601	-	-	2,924
नागालैंड	177	-	-	-	-	177
ओड़िशा	3,294	-	-	-	-	3,294
राजस्थान	785	-	13	-	-	798
सिक्किम	-	74	55	47	219	395
तमिलनाडु	-	500	353	-	276	1,129
त्रिपुरा	29	-	-	-	-	29
पश्चिम बंगाल	958	2,250	350	-	-	3,559
कुल	**12,793**	**7,891**	**4,114**	**1,362**	**1,093**	

स्रोत: राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1825, 7 अगस्त, 2024; एनडीआरएफ के तहत वितरित धनराशि, गृह मंत्रालय, 14 दिसंबर, 2021; पीआरएस।

[1] Mandate and Organisational Structure of the Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-08/AdminDiv_WorkAllocation_20012020%5B1%5D.pdf.

[2] Article 355, The Constitution of India, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf.

[3] Report No. 231: 'Demands for Grants (2021-2022), Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/231_2021_3_11.pdf.

[4] Data on Police Organisations, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, 2023, https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf.

[5] "Central Armed Police Forces (CAPFs)", Indian Police, accessed on January 28, 2025, https://police.gov.in/poi-internal-pages/central-armed-police-forces-capfs.

[6] Annual Report 2023-24, Ministry of Home Affairs, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport_27122024.pdf.

[7] Unstarred Question No. 2426, Ministry of Home Affairs, Lok Sabha, August 6, 2024, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AU2426_pfB4Co.pdf?source=pqals.

[8] Report No. 215: 'Working Conditions in Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (CISF, CRPF, and NSG)', Standing Committee on Home Affairs, December 12, 2018, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/107/215_2019_11_14.pdf?source=rajyasabha.

[9] Report No. 242: 'Demand for Grants (2023-24), Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, March 20, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/169/242_2023_6_17.pdf?source=rajyasabha.

[10] Accidental Deaths and Suicides in India 2022, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, https://www.ncrb.gov.in/uploads/files/AccidentalDeathsSuicidesinIndia2022v2.pdf.

[11] Unstarred Question No. 58, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, December 7, 2022, https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/735464/2/IQ_258_07122022_U58_p211_p213.pdf.

[12] Unstarred Question No. 4187, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, March 29, 2022, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/178/AU4187.pdf?source=pqals.

[13] Unstarred Question No. 1036, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, December 4, 2024, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2024-pdfs/RS04122024/1036.pdf.

[14] 'Modernisation of Police Force', Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, December 10, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2082737.

[15] Report No. 249: 'Action Taken by Government on the Recommendations/Observations in the 242nd report of the Committee on Demands for Grants (2023-24) on the Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, December 7, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/188/249_2024_2_12.pdf?source=rajyasabha.

[16] Report for the year 2021-26, 15th Finance Commission of India, October 2020, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.

[17] 'Recruitment of Women in Police', Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, August 6, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042133.

[18] Unstarred Question No. 1698, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, August 02, 2022, https://sansad.in/getFile/annex/257/AU1968.pdf?source=pqars.

[19] Report No. 2: Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty First Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women (2012-2013) on 'Working Conditions of Women in Police Force', Committee on the Empowerment of Women, December 19, 2014, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Empowerment%20of%20Women/16_Empowerment_of_Women_2.pdf?source=loksabhadocs.

[20] Modernisation of Police Forces, Press Information Bureau, August 3, 2022 , https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847867#:~:text=Under%20the%20umbrella%20scheme%20of%20'Modernisation%20of%20Police%20Forces'%2C,the%20scheme%20can%20be%20revised.

[21] Report No. 237: 'Police – Training, Modernisation and Reforms', Standing Committee on Home Affairs, February 10, 2022, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/161/237_2022_2_17.pdf?source=rajyasabha.

[22] Report No. 244: 'Action Taken By Government On The Recommendations/Observations Contained In The Two Hundred Thirty Seventh Report On Police - Training, Modernisation And Reforms', Standing Committee on Home Affairs, March 17, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/169/244_2023_6_10.pdf?source=rajyasabha.

[23] Central Forensic Science Laboratory Chandigarh, Ministry of Home Affairs, as accessed on January 15, 2025, http://cfslchandigarh.gov.in/(S(cplmi0josz5hvzjk1j355dgt))/Home.aspx.

[24] Unstarred Question No. 4126, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, April 07, 2022, https://pqars.nic.in/annex/256/AU4126.pdf.

[25] Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/20099/1/a2023-46.pdf.

[26] Unstarred Question No. 3452, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, December 17, 2024, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2024-pdfs/LS17122024/3452.pdf.

[27] Report No. 316: 'Issues Related to Safety of Women', Standing Committee on Education, Women, Children, Youth, and Sports, Rajya Sabha, March, 19 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/144/316_2021_4_15.pdf

[28] National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, Press Information Bureau, July 31, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039649#:~:text=A%20Scheme%20%E2%80%9CNational%20Forensic%20Infrastructure,Forensic%20Sciences%20University%2C%2007%20Central.

[29] Report No. 238: 'Demands for Grants (2022-23), Ministry of Home Affairs', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, March 14, 2022, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/161/238_2022_3_17.pdf.

[30] 'Cabinet approves Proposal for Implementation of Umbrella Scheme on "Safety of Women" ', Press Information Bureau, Cabinet, February 21, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2007871.

[31] F. No. 8/B/10/(133)HRD/EMC/2016, Directorate General of Human Resource Development, Ministry of Finance, May 19, 2017, https://dghrdcbic.gov.in/WriteReadData/_0_Nirbhaya%20Fund.pdf.

[32] "Crime in India 2022", Volume 2, National Crime Records Bureau, https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701608364CrimeinIndia2022Book2.pdf.

[33] National Cyber Forensic Laboratory, Indian Cybercrime Coordination Centre, accessed on February 17, 2025, https://i4c.mha.gov.in/ncfl.aspx.

[34] Unstarred Question No. 249, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, July 24, 2024, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2024-pdfs/RS24072024/249.pdf.

[35] Unstarred Question No. 1167, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, December 13, 2023, https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/744633/1/PQ_262_13122023_U1167_p193_p201.pdf.

[36] 'Strengthening NDPS Act and Tackling Cross-border Drug Trafficking', Press Information Bureau, Ministry of Home Affairs, December 18, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085684.

[37] 'Drug Trafficking in the Country', Press Information Bureau, December 24, 2024, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036398.

[38] Gazette of India, Notification, Ministry of Home Affairs, November 14, 2024, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ManipurPS_19112024.pdf.

[39] Section 4, The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1527/1/a1958-28.pdf.

[40] Notification G.S.R. 134(E) and Order G.S.R. 134(E), Ministry of Home Affairs, February 13, 2025, https://egazette.gov.in/(S(bkym0w411lrxyh5ysoj5aq2d))/ViewPDF.aspx.

[41] "Left Wing Extremism Division", Ministry of Home Affairs, accessed on January 28, 2025, https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/left-wing-extremism-division.

[42] Frequently Asked Questions (FAQs), Left-Wing Extremism Division, Ministry of Home Affairs, accessed on February 24, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-01/QuestionFaqEng_16012025.pdf.

[43] Annual Report 2021-22, Ministry of Home Affairs, 2022, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/AnnualReport202122_24112022%5B1%5D.pdf.

[44] "BSF, BGB officials hold border-coordination talks even as infiltration bid is foiled", The Hindu, 16 January, 2025, https://www.thehindu.com/news/national/west-bengal/bsf-bgb-officials-hold-border-coordination-talks-even-as-infiltration-bid-is-foiled/article69101403.ece.

[45] Unstarred Question No. 3042, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, August 8, 2023, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2504729/1/AU3042.pdf.

[46] Vibrant Villages Programme, Press Information Bureau, December 13, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1985867.

[47] Unstarred Question No. 2507, Lok Sabha, August 6, 2024, Ministry of Home Affairs, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2979737/1/AU2507_LY06qX.pdf.

[48] Prison Reforms (PR), Ministry of Home Affairs, accessed on February 25, 2025, https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/Women_Safety_Division/prison-reforms#:~:text=The%20Ministry%20of%20Home%20Affairs%20had%20prepared%20a%20Model%20Prison,it%20in%20their%20respective%20jurisdictions.

[49] Prison Statistics India, 2022, National Crime Records Bureau, https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/psiyearwise2022/1701613297PSI2022ason01122023.pdf.

[50] Implementation of the Model Prison Manual, Press Information Bureau, March 15, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1907161#:~:text=MHA%20has%20approved%20the%20'Modernisation,the%20jails%20of%20the%20country.

[51] Advisory No.17011/2/2010-PR, "Overcrowding in Prisons", Ministry of Home Affairs, May 9, 2011, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2022-09/OvercrowdingPrison09052011%5B1%5D_0.pdf.

[52] "Status of probation, parole, leave and their impact on overcrowding of prisons", Bureau of Police Research & Development Ministry of Home Affairs, https://bprd.nic.in/uploads/pdf/201608040935426398846Report.pdf.

[53] Report No. 13, "Women in Detention and Access to Justice", Committee on Empowerment of Women, Lok Sabha, August 2018, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/783396/1/16_Empowerment_of_Women_13.pdf.

[54] Guidelines and Standard Operating Procedure for implementation of the Scheme for support to poor prisoners, Ministry of Home Affairs, June 19, 2023, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/poorprisoners_20022024.pdf.

[55] 'Report No. 245: 'Prison – Conditions, Infrastructure and Reforms', Standing Committee on Home Affairs, September 21, 2023, https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/188/245_2024_1_15.pdf?source=rajyasabha.

[56] Article 239A and 239AA, Constitution of India, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf.

[57] The Ladakh Autonomous Hill Development Councils Act, 1995, https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/jammu-and-kashmir/1995/1995J&K1.pdf.

[58] Unstarred Question No. 2398, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, December 10, 2024, https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2024-pdfs/LS10122024/2398.pdf.

[59] Audit Report No.15 of 2020, 'Performance Audit of Manpower and Logistical Management in Delhi Police', 2020, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2020/Report%20No.%2015%20of%202020_English_Police-05f809de4527eb8.68338874.pdf.

[60] Report No. 230: 'Atrocities and Crimes against Women and Children', Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, March 15, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/230_2021_3_12.pdf.

[61] Unstarred Question No. 3180, Lok Sabha, Ministry of Home Affairs, March 22, 2022, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/178/AU3180.pdf?source=pqals.

[62] Report No. 140: Manpower and Logistics Management in Delhi Police, Public Accounts Committee, July 24, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Public%20Accounts/17_Public_Accounts_140.pdf?source=loksabhadocs.

[63] Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs, accessed on February 25, 2025, https://www.mha.gov.in/en/divisionofmha/disaster-management-division.

[64] Section 2(e), The Disaster Management Act, 2005, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2045/1/AAA2005___53.pdf.

[65] Report of the 15th Finance Commission, October 2020, https://fincomindia.nic.in/asset/doc/commission-reports/XVFC%20VOL%20I%20Main%20Report.pdf.

[66] National Disaster Risk Management Fund (NDRMF) and State Disaster Risk Management Fund (SDRMF), Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs, accessed on February 20, 2025, https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/responsefund.

[67] Allocation and release of funds from SDRF and NDRF during 2024-25, Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs, accessed on February 20, 2025, https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/viewUploadedDocument?uid=NEW2373.

[68] 'About Us', National Disaster Response Force, as accessed on January 10, 2025, https://ndrf.gov.in/about-us.

[69] The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2024/Disaster_Management_(Amendment)_Bill_2024.pdf.

[70] FAQ on Kerala Flood Cess, accessed on February 27, 2025, https://keralataxes.gov.in/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-FAQ-ON-FLOOD-CESS-29-07-2019.pdf.

[71] Notes on Demands for Grants, Ministry of Home Affairs, Expenditure Budget, Union Budget, 2012-13 and 2013-14, https://www.indiabudget.gov.in/previous_union_budget.php.

[72] Lok Sabha Unstarred Question No. 672, February 6, 2024, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2974757/1/AU672.pdf.

[73] Section 9, National Food Security Act, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2113/1/201320.pdf.

[74] "India overtakes China as the world's most populous country", Policy Brief No. 153, United Nations Department of Economic and Social Affairs, April 24, 2023, https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/PB153.pdf.

[75] National Family Health Survey -5 2019-21, https://rchiips.org/nfhs/NFHS-5Reports/NFHS-5_INDIA_REPORT.pdf.

[76] Periodic Labour Force Survey July 2022-June 2023, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/AR_PLFS_2022_23N.pdf?download=1.

[77] Unstarred Question No. 704, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, July 26, 2023, https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/742217/1/PQ_260_26072023_U704_p275_p275.pdf.

[78] Article 82, Constitution of India, https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s380537a945c7aaa788ccfcdf1b99b5d8f/uploads/2024/07/20240716890312078.pdf.

[79] The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/PassedBothHouses/const%20128th%20amend104202340415PM.pdf?source=legislation.

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।